

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	वैशाख 15, शुक्रवार, शाके 1939— मई 5, 2017 <i>Vaisakha 15, Friday, Saka 1939-May 5, 2017</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 05, 2017

संख्या प. 2 (2) विधि/2/2017 :-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मई, 2017 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन)

अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 17)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मई, 2017 को प्राप्त हुई)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 को निरसित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 33 का निरसन.- हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 33) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

मनोज कुमार व्यास,

प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, May 5, 2017

No. F. 2 (2) Vidhi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Haridev joshi Patrakarita Aur Jansanchar Vishwavidyalaya, Jaipur (Nirsan) Adhiniyam, 2017 (2017 ka Adhiniyam Shankhyank 17) :-

(Authorised English Translation)

**THE HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND
MASS COMMUNICATION, JAIPUR (REPEAL)**

ACT, 2017

(Act No. 17 of 2017)

(Received the assent of the Governor on the 4th day of May, 2017)

An

Act

to repeal the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur (Repeal) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Repeal of Rajasthan Act No. 33 of 2012.- The Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Act, 2012 (Act No. 33 of 2012) is hereby repealed.

मनोज कुमार व्यास,

Principal Secretary to the Government.